संख्या–1785/62–3–2011–59एम/2010

प्रेषक,

शहजादे लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

श्री उमाशंकर,
निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनु0–3 लखनऊ दिनांक 20 मई, 2011,

विषयः– **वेतन समिति (2008) द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कम में अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड–3 रू0 15600–39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 7600 के स्थान पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड–4 रू0 37400–67000 एवं ग्रेड वेतन रू0 8700 दिनांक 01 जनवरी 2006 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ/नकद भुगतान तत्काल प्रभाव से दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपरोक्तानुसार उच्चीकृत वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59एम/2008 दिनांक 08 दिसम्बर 2008 यथा संशोधित में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–वे0आ0–2–564दिनांक 9–5–2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1785(1)/62–3–2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– वित्त (वित्त नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1,
5– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शहजादे लाल)
संयुक्त सचिव।